प्रेशक,

निदेषक मौलिक षिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

सेवा में,

राज्य के सभी
1. जिला मौलिक षिक्षा अधिकारी
2. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व षिक्षा अभियान।

यादी क्रमांक 10/29-2010 पी0ई0 (2) दिनांक, पंचकुला 17.3.2011

विशयः- निःषुल्क एवं अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन।

उपरोक्त विशय के सन्दर्भ में उल्लेख किया जाता है कि निःषुल्क एवं अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अर्न्तगत प्रत्येक विद्यालय मे एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन तथा प्रत्येक दो वर्श बाद पुनर्गठन किया जाना है। विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्य संयोजक को छोड़कर निम्न सदस्य होंगेः-

(प) विद्यार्थियों की संख्या 001-300 तक वाले विद्यालयों में - 12 सदस्यय

(पप) विद्यार्थियों की संख्या 301-500 तक वाले विद्यालयों में - 16 सदस्यय

(पपप) विद्यार्थियों की संख्या 501 या अधिक वाले विद्यालयों में - 20 सदस्यय

'विद्यालय प्रबंधन समिति' की सदस्य संख्या का पचहत्तर प्रतिषत बालकों के माता-पिताओं या संरक्षकों में से होगा। विद्यालय में पढ़ रहे बालकों के माता-पिता तथा अभिभावकों की एक सभा का आयोजन समिति के गठन के लिए विद्यालय के मुख्य षिक्षक या वरिश्ठतम षिक्षक द्वारा विद्यालय परिसर/प्रांगण में किया जाएगा। माता पिता तथा अभिभावक संघ 'विद्यालय प्रबंधन समिति' के लिए यथाअपेक्षित सदस्यों का मनोनयन सर्वसम्मति से करेगा। किसी मामले मे विवाद की दषा में मुख्य षिक्षक या वरिश्ठतम

षिक्षक द्वारा खण्ड षिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला मौलिक षिक्षा अधिकारी को मामले के समाधान के लिए सूचित किया जाएगा।

'विद्यालय प्रबंधन समिति' की सदस्य संख्या का षेश पच्चीस प्रतिषत निम्नलिखित व्यक्तियों में से होगा, अर्थात्ः–

(क) नगरपालिका या ग्राम पंचायत, जैसी भी स्थिति हो के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्यय

(ख) विद्यालय के अध्यापकों में से एक सदस्य, जिसका विनिष्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगाय

(ग) स्थानीय षिक्षाविदों या विद्यालय के बालकों में से कम से कम एक व अधिकतम तीन सदस्य, जिनके मनोनयन का विनिष्चय माता–पिता/संरक्षकों द्वारा किया जाएगा।

यह ध्यान रखा जाए कि समिति के कुल सदस्यों का पचास प्रतिषत सदस्य महिलाएं होंगीय और 'विद्यालय प्रबंधन समिति' के कुल सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा एक सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित होगा।

'विद्यालय प्रबंधन समिति' माता–पिता/संरक्षक सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित करेगी। विद्यालय का प्रधान अध्यापक या जहां विद्यालय में प्रधान अध्यापक नहीं है वहां विद्यालय का वरिश्ठतम अध्यापक, विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य संयोजक होगा।

'विद्यालय प्रबंधन समिति' मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और सदस्य संयोजक द्वारा बैठकों के कार्यवृत तथा विनिष्चय समुचित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएगें। इस हेतु सदस्य संयोजक एक नई 'कार्यवाही पुस्तिका' लिखना आरंभ करेंगे व आगामी बैठकों की कार्यवाहियाँ भी इसी में लिखेंगे।

'विद्यालय प्रबंधन समिति', धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिश्ट कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों जिसके लिए यह इसके सदस्यों में से लघु कार्यसमूह से गठित हो सकती है, का पालन करेगी, अर्थात्ः–

(क) अधिनियम में यथा प्रतिपादित बालक के अधिकारों के साथ ही राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय, माता–पिता और संरक्षक के कर्तव्यों को भी विद्यालय के आस–पड़ोस की जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप में सूचित करनाय

(ख) धारा 24 के (क) और (ड) तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिष्चित करनाय

(ग) इस बात की निगरानी करना कि अध्यापकों पर धारा 27 में विनिर्दिश्ट कर्तव्यों से भिन्न गैर–षैक्षिक कर्तव्यों का भार न डाला जाएय

(घ)विद्यालय में आस–पड़ोस के सभी बालकों का नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिष्चित करनाय

(ड)अनुसूची में विहित सन्नियमों और मानकों को बनाए रखने की निगरानी करना।

(च) बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विषेश रूप से बालकों के मानसिक और षारीरिक उत्पीडन, प्रवेष से इंकार किए जाने और धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार निःषुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबंध को स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लानाय

(छ)आवष्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी करनाय

(ज) निःषक्तताग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी षिक्षा की सुविधाओं की निगरानी करना और प्राथमिक षिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिष्चित करनाय

(झ) विद्यालयों में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन की निगरानी करनाय

(ञ)विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्शिक लेखा तैयार करनाय

(ट) सरकार द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य।

इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए 'विद्यालय प्रबंधन समिति' द्वारा प्राप्त किसी धनराषि को एक पृथक् बैंक खाते में रखा जाएगा, जिसकी प्रत्येक वर्श संपरीक्षा की जाएगी।

विभाग द्वारा आपको यह सम्प्रेशित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधिकार में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले तथा राज्य सरकार से 'सहायता एवं मान्यता' प्राप्त सभी प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) तथा उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) विद्यालयों में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार 'विद्यालय प्रबंधन समिति' का गठन कर लिया जाए।

इन समितियों के गठन के लिए सभी विद्यालयों में 22 मार्च 2011 को एक बैठक आयोजित की जानी है। इस बैठक में 'विद्यालय प्रबंधन समिति' के निर्धारित सदस्यों का जहां तक सम्भव हो सर्वसम्मति से चयन व नामांकन बैठक में भाग ले रहे 'माता–पिता व अभिभावकों' के द्वारा किया जावे।

वर्तमान में सर्व षिक्षा अभियान के तहत कार्यरत ग्राम षिक्षा समितियो व ग्राम निर्माण समितियों को संबंधित 'विद्यालय प्रबंधन समिति' के गठन के उपरान्त ही गठन की तिथि व समय से भंग मान लिया जाएगा तथा उनका लेखा जोखा व अन्य दस्तावेज नव गठित 'विद्यालय प्रबंधन समिति' को सौप दिया जाएगा। सदस्य संयोजक ध्यान रखें कि पुराना लेखा जोखा व जिम्मेदारियाँ मौखिक व लिखित रूप से नई समिति को बतायें व समझायें।

18 या 19 मार्च को खण्ड स्तर पर सभी स्कूल मुखियाओं/प्रभारियों, सहायक खण्ड संसाधन समन्वयकों तथा खण्ड संसाधन समन्वयकों की एक बैठक आप द्वारा गठन प्रक्रिया के बारे में प्रषिक्षण देने हेतु कर ली जाए।

प्रत्येक विद्यालय में एक नई कार्यवाही पुस्तिका लगाई जाए, जिसमें हर कार्यवाही को विस्तृत रूप से लिखा जाए। इस पुस्तिका को 'विद्यालय प्रबंधन समिति' के सदस्य संयोजक द्वारा निरीक्षण व अवलोकन हेतु संभालकर विद्यालय में रखा जाए।

कार्यवाही पुस्तिका पर सभी उपस्थित सदस्यों की हाजरी संलग्न कार्यवाही प्रारूप – 'एक' व 'दो' में ली व लिख ली जाए। नव गठित समिति के सदस्यों का ब्यौरा संलग्न कार्यवाही प्रारूप – 'एक' व 'दो' के अनुसार बना कर कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

सभी जिला मौलिक षिक्षा अधिकारी व जिला परियोजना समन्वयक, सर्व षिक्षा अभियान दिनांक 24 या 25 मार्च को अपने अपने चुने खण्डों में संबंधित विद्यालयों के प्रभारियों/मुख्याध्यापकों, सहायक खण्ड संसाधन समन्वयकों व खण्ड संसाधन समन्वयकों की बैठक पुनः आयोजित करेंगे। इस बैठक में वे सभी विद्यालयों से संबंधित दोनों बैठकों की कार्यवाहियों की सत्यापित फोटोप्रतियाँ प्राप्त करेंगे तथा इन फोटोप्रतियों को अपने हस्ताक्षर के साथ सत्यापित कर निदेषालय को दिनांक 26 मार्च को दोपहर 2.00 बजे निजी संदेषवाहक के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिष्चित करेंगे।

निदेषक मौलिक षिक्षा
हरियाणा,
पंचकुला।

पृ0क्र0–सम–   दिनांक, पंचकुला।

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को प्रेशित हैः–

1. निदेषक, विद्यालय षिक्षा, हरियाणा।
2. राज्य परियोजना निदेषक सर्व षिक्षा अभियान, हरियाणा।
3. सभी जिला उपायुक्त।
4. सभी अतिरिक्ति उपायुक्त।
5. सभी जिला षिक्षा अधिकारी।

निदेषक मौलिक षिक्षा
हरियाणा,
पंचकुला।